संख्या 1581 /33-3-2025

प्रेषक,

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, पचांयतीराज, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग -3 **लखनऊ दिनांकः 19 सितम्बर, 2025**

विषयः- प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान (फेज-5.0) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि दिनांक 17 सितम्बर, 2025 को माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान (फेज-5.0) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत करते हुए विभागीय कार्ययोजनाओं में जन-सहभागिता सुनिश्चित करने, महिलाओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ उनके स्वउद्यमता को बढ़ावा देने हेतु कार्ययोजना बनाते हुए कार्य किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

2- मिशन शक्ति फेज-5.0 में महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन की दिशा में निम्नॉकित गतिविधियॉ राज्य के साथ त्रिस्तरीय पंचायतों के स्तर पर की जानी आपेक्षित हैः-

क्र0	गतिविधियॉ	गतिविधियों का विवरण	कार्यवाही	समयावधि
1	राज्य स्तर पर महिला प्रधानों की कार्यशाला	त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन	पंचायती राज निदेशालय	अक्तूबर-नवम्बर, 2025
2	महिला एवं बाल सभा का आयोजन	• **जन योजना अभियान** 2025 की अवधि में पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 4121/33-3/2022 दिनॉक 06.11.2022 में निर्दिष्ट कम से कम 03 महिला सभाओं एवं 04 बाल सभाओं का आयोजन कर महिलाओं एवं बच्चों की आवश्यकताओं को जी.पी.डी.पी. का भाग बनाया जाये। • क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा भी महिला सदस्यों के साथ बैठक करके उनके क्षेत्र की	त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थायें	अक्तूबर 2025 से मार्च, 2026

क्र0	गतिविधियाँ	गतिविधियों का विवरण	कार्यवाही	समयावधि
		आवश्यकताओं को वार्षिक कार्ययोजना का भाग बनाया जाये।		
3	महिला हितैषी पंचायतों का विकास हेतु जनपद स्तरीय कार्यशाला	4130 महिला हितैषी पंचायतों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जनपद स्तरीय कार्यशाला।	समस्त जिला पंचायत राज एवं मंडलीय उपनिदेशक (पं0)	अक्तूबर–नवम्बर, 2025
4	महिला प्रधानों का प्रशिक्षण (महिला नेत्री अभियान)	5000 बीकन महिला पचांयत नेत्रियों का जनपद स्तरीय प्रशिक्षण	समस्त जिला पंचायत राज एवं मंडलीय उपनिदेशक (पं0).	अक्तूबर–नवम्बर, 2025
5	58189 ग्राम पंचायतों, 826 क्षेत्र पंचायत एवं 75 जिला पंचायत में पंचायत सभा का आयोजन।	जन योजना अभियान, 2025 के अन्तर्गत महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं के प्रचार–प्रसार को सम्मिलित करते हुए महिला सभा एवं ग्राम सभाओं का आयोजन, जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मियों/अधिकारियों को महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए आंमत्रित करते हुए समुदाय को लाभान्वित किया जाना।	त्रि–स्तरीय पंचायतें	अक्तूबर 2025 से मार्च, 2026 के मध्य
6	महिला एवं बाल हैल्प लाइन नम्बर का प्रचार एवं चित्रण।	त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा महिला सुरक्षा एवं विकास संचालित योजनाओं के साथ सामान्य सुरक्षा सम्बंधी राज्य के "हेल्प लाइन नम्बर–102, 108 181, 112, 1076, 1098, 1090 आदि" व "मिशन शक्ति लोगो" का प्रमुख सामुदायिक स्थलों पर चित्रण।	त्रि–स्तरीय पंचायतें	अक्तूबर 2025 से दिसम्बर, 2026 के मध्य
7	पंचायतों द्वारा उक्त रूप से चयनित गतिविधियों को अपनी वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए जी.पी.डी.पी., डी.पी.डी.पी. एवं बी.पी.डी.पी. को तैयार करना।	पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना।	त्रि–स्तरीय पंचायत	मार्च, 2025 तक

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मिशन शक्ति फेज, 2025 (फेज–5.0) का कियान्वयन निर्धारित समयावधि में करते हुए विभागीय एम.पी.आर.पोर्टल पर गतिविधियों की फोटो सहित मासिक प्रगति अपलोड कराना सुनिश्चित् करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ,
4. विशेष/अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अभियोजन/महिला एवं बाल सुरक्षा, संगठन उ0प्र0।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
6. मिशन निदेशक/निदेशक, उ0प्र0 राज्य आजीविका मिशन, कौशल विकास, उ0प्र0।
7. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
8. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0), उत्तर प्रदेश।
13. समस्त प्रधान/सचिव, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाएडेय)
संयुक्त सचिव।